भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय
(राजस्थान विभाग)
अधिसूचना संख्या 9/2021-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर, 2021

सा.का.नि. आधार पर, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय (राजस्थान विभाग) के अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (१) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:–

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

यथा:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>&quot;86.&quot;</th>
<th>1209</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/206/2021-टीआरसी]

(राजीव रंजन)
अवरसचिव, भारत सरकार
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.लि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ि) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.लि. 712(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ि) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।